राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141–2223862 E mail ID: projectdirectorch@gmail.com

क्रमांकः एफ.7.(1–MC) (42)Part -II / एनएचएम / **Mediclaim** / 2020–21 / 1173 दिनांक : 31/12/2020

परिपत्र

विषयः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत एनएचएम कार्मिकों को Medical Insurance दिये जाने के संबंध में।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PIP 2018–19 में प्राप्त अनुमोदन के अनुसरण में मिशन के अन्तर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों को Medical Insurance दिये जाने की कार्यवाही राज्य स्तर से की जा रही है। इस कार्यवाही के अन्तर्गत बीमा कम्पनी का चयन किया जाकर एनएचएम संविदा कार्मिकों को Cashless चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रावधान किया जा रहा है। इस संबंध में राज्य स्तर, जिला स्तर एवं जिला स्तर से नीचे कार्यरत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संविदा कार्मिकों एवं उनके परिवार की विस्तृत सूचना मय आधार कार्ड एचआर शाखा द्वारा संकलित की जा रही है। यह सूचना शीघ्र–अतिशीघ्र उपलब्ध कराने की स्थिति में इस योजना का संचालन सुचारू रूप से किया जा सकेगा।

इस योजना के मुख्य प्रावधान निम्नानुसार हैः–

1. योजनान्तर्गत आने वाले कार्मिकः– राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत सीधे संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिक। नोटः– इस के अन्तर्गत एनजीओ / सेवा प्रदाता / ऐजेन्सी / आरएमआरएस के माध्यम से कार्यरत कार्मिक सम्मिलित नहीं है।
2. प्रत्येक कार्मिक एवं उसके परिवार को रू. 2 लाख Medical Insurance एक वर्ष की अवधि के लिए दिये जाने का प्रावधान रखा गया है।
3. इसके अन्तर्गत परिवार की परिभाषा निम्नानुसार होगीः–
   - स्वयं कार्मिक
   - कार्मिक का पति / पत्नि
   - कार्मिक के बच्चे जब तक वह 25 वर्ष की आयु प्राप्त करें / अविवाहित हों / नौकरी करने लगे, इनमें से जो पहले हो।
   - कार्मिक के बच्चे के किसी प्रकार से मानसिक या शारीरिक रूप से अक्षम होने की स्थिति में 25 वर्ष की आयु सीमा लागू नहीं होगी।
4. कार्मिक को उपलब्ध रू. 2 लाख का कवर cashless होगा जिसका उपयोग Family Floator आधार पर किया जा सकेगा अर्थात एक वर्ष में परिवार के एक या अधिक सदस्यों द्वारा इसे उपयोग मे लिया जा सकेगा। उपयोग में लिये जाने की संख्या की कोई सीमा नहीं है।
5. इसके अन्तर्गत आयुष्मान भारत योजना के Health Benefit package 2.0 /CGHS में सूचीबद्ध सभी मुख्य बीमारियां सम्मिलित की जायेगी।
6. लाभार्थी कार्मिक एवं उसके परिवार को योजनान्तर्गत प्रतिवर्ष प्रति परिवार रू. 2 लाख तक की चिकित्सा सुविधाएं बीमा कम्पनी के साथ संबद्ध निजी चिकित्सालयों में Cashless रूप में उपलब्ध कराई जा सकेगी। आपातकालीन स्थिति में, ऐसे निजी अस्पताल जो बीमा कम्पनी के साथ संबद्ध नहीं है परन्तु योजनान्तर्गत उल्लेखित न्यूनतम अर्हताएं (Minimun Eligibility) पूर्ण करता है, वहां इस योजना के अन्तर्गत ईलाज Reiumbursement Mode पर लिया जा सकेगा।

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141–2223862 E mail ID: projectdirectorch@gmail.com

7. इस योजना में लाभार्थी कार्मिक एवं उसके परिवार को निम्न अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध होगीं:–
   - Pre-existing illness waiver:- योजना के प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व की भी बीमारियां योजना में कवर की जा सकेगी।
   - Pre and Post Hospitalization :- योजनान्तर्गत अस्पताल में भर्ती होने से पूर्व के सात दिन एवं Discharge के पश्चात् के 15 दिन का ईलाज भी इस कवर में सम्मिलित है।
   - No Waiting Period:- योजनान्तर्गत आने वाली बीमारियों में से किसी भी बीमारी के लिए Wating Period नहीं होगा।
   - New Born Child/ Children:- बीमित परिवार में पैदा होने वाले (परिवार की परिभाषा में आने वाले) नवजात पैदा होने की तिथि से लागू Policy वर्ष तक योजना में सम्मिलित होगें। आगामी वर्षो में ये बच्चे नियमित सदस्य के रूप में सम्मिलित हो सकेगे।
8. योजना में कार्मिक तथा/अथवा उसके परिवार के सदस्य को जोडा या हटाया जा सकता है:–
   - Addition:-
     - नवीन कार्मिक को उसके राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में कार्य ग्रहण करने की तिथि से कवर किया जा सकेगा।
     - लाभार्थी कार्मिक के परिवार में विवाह होने अथवा संतान होने पर पत्नि/पति/संतान को कार्मिक द्वारा सूचित करने के उपरान्त नियमानुसार जोडा जा सकेगा।
   - Removal:-
     - कार्मिक द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से कार्य मुक्त होने की तिथि से कार्मिक एवं उसके परिवार को योजना में कवर नहीं किया जायेगा।
     - लाभार्थी कार्मिक की मृत्यु होने की स्थिति में उसके परिवार को चालू पॉलिसी वर्ष में योजनान्तर्गत अनुबंद्व सेवा अवधि लाभ जारी रहेगा। परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने अथवा लाभार्थी कार्मिक की संतान के 25 वर्ष से अधिक आयु का होने पर।
     - लाभार्थी कार्मिक का विवाह विच्छेद होने की स्थिति में उसके पति/पत्नि को योजना में लाभ नहीं दिया जा सकेगा।
9. योजना में लाभार्थी एवं उसके परिवार की पहचान अस्पताल के स्तर पर चयनित बीमा कम्पनी द्वारा जारी किये गये कार्ड तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय से जारी किये गये पहचान–पत्र/आधार कार्ड/जन आधार कार्ड/ डाईविंग लाईसेन्स/मतदाता पहचान–पत्र आदि के माध्यम से की जा सकेगी। इस प्रकार पहचान किये जाने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कार्मिको का अपडेटेड डेटाबेस एचआर शाखा द्वारा तैयार किया जा रहा है। यह डेटाबेस इस योजना हेतु चयनित बीमा कम्पनी को दिया जाना है जिसके माध्यम से लाभार्थी कार्मिक एवं उसके परिवार के सदस्यों की पहचान सुनिश्चित की जा सकेगी।

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141–2223862 E mail ID: projectdirectorch@gmail.com

10. इसके अन्तर्गत टेन्डर प्रक्रिया के माध्यम से चयनित बीमा कम्पनी को प्रीमियम की राशि प्रति परिवार प्रतिवर्ष हेतु देय होगी। इस राशि में से 50 प्रतिशत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा (प्रति परिवार प्रति वर्ष अधिकतम रू. 1,000/– तक) वहन किया जायेगा जबकि शेष 50 प्रतिशत स्वंय कार्मिक को वहन करना होगा। कार्मिक द्वारा वहन की जाने वाली राशि की कटौती, कार्मिक को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा देय मानदेय में से प्रतिमाह की जायेगी।
उपरोक्त के संबंध में निम्न निर्देश प्रसारित किये जाते हैं:–

1. एचआर शाखा द्वारा उपलब्ध कराये गये फोरमेट में आपके जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत कार्यरत समस्त संविदा कार्मिकों एवं उनके परिवार के सदस्यों की सूचना समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला स्तर पर CHRIS Software में दिनांक 15 जनवरी, 2021 तक भरवाना सुनिश्चित करें।

2. यह सूचना भरने के लिए CHRIS Software में आवश्यक प्रावधान किया गया है। सूचना भरने से पूर्व समस्त पात्र कार्मिको को निर्देशित किया जाता है कि वे इस परिपत्र को ध्यान पूर्वक पढ़ लेवें।

3. CHRIS Software में सूचना भरने से पूर्व इस योजना में सम्मिलित होने के लिए सहमत होने की स्थिति में Yes Click करना होगा। जिसके उपरान्त ही संबंधित कार्मिक के परिवार की सूचना भरने हेतु फार्म खुलेगा। No Click करने की स्थिति में इसे योजना में सम्मिलित होने के लिए कार्मिक की असहमति माना जायेगा एवं उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। यदि 15 जनवरी, 2021 तक कार्मिक द्वारा CHRIS Software में उपरोक्तानुसार सूचना नहीं भरी जाती है तो उसे योजना में सम्मिलित होने हेतु असहमति मान लिया जायेगा।

कृपया इसे अत्यावश्यक समझे।

(एन.के.ठकराल)
विशिष्ट शासन सचिव एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

क्रमांकः एफ.7.(1–MC) (42)Part -II/एनएचएम/Mediclaim/2020–21/1173 दिनांक : 31/12/2020

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजि सचिव, शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य।
2. निजि सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं मिशन निदेशक,एनएचएम।
3. परियोजना निदेशक, एनएचएम।
4. निदेशक वित्त, एनएचएम।
5. समस्त परियोजना निदेशक (State Unit)
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले राजस्थान।

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,राजस्थान
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान, जयपुर फोन नं. 0141–2223862 E mail ID: projectdirectorch@gmail.com

7. समस्त राज्य स्तरीय सलाहकार / प्रोग्राम ऑफिसर, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन।
8. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक / शहरी कार्यक्रम प्रबंधक / जिला लेखा प्रबंधक / जिला एमएंडई ऑफिसर / हैल्थ मैनेजर / जिला आशा, आईसी, पीसीपीएनडीटी समन्वयक / डेटा एन्ट्री ऑपरेटर।
9. वर्टिकल प्रोग्राम तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संविदा पर कार्यरत समस्त कार्मिक।
10. संबंधित को मेल करने हेतु।
11. रक्षित पत्रावली।

परियोजना निदेशक, एनएचएम